



आदेश क्रमांक 17/20-2015 PS (E-1)

दिनांक, पंचकूला -25-05-2017

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Sanskriti Public School, Vill. Khandra (Panipat) को कक्षा 1 से 8 तक CBSE से सम्बद्धता हेतु अनामतित प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय सचाई मान्यता आदेश क्रमांक 17/20-2015 PS (E-1) दिनांक 05-05-2017 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनामतित प्रमाण पत्र भी वापिस दिया जाना जायेगा। विद्यालय का कोड नं० 3343/PNP/Sth/BOSE/2017 है।

DR. VANDANA DISODIA
 ADDITIONAL DIRECTOR ADMIN
 O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA
 दिनांक पंचकूला - 26.05.2017

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रबन्धक समीति, Kanishka Education Society, Vill. Khandra, Distt. Panipat.
2. सचिव, CBSE, New Delhi.
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, Bhiwani.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Panipat.
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी Panipat.
6. Headmaster, Sanskriti Public School, Vill. Khandra (Panipat).
7. टेक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।

(Signature)
 SUPERINTENDENT PS
 FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA
(Signature)